[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 26 मई, 2016

प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम नियम, 2016

अधिसूचना

का.आ. 1903(अ)--केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 211 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समकरण उद्ग्रहण से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -- (1) प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम नियम, 2016 है।

(2) ये 1 जून, 2016 से प्रवृत होंगे।

2. परिभाषाएं – (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "स्कीम" से वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) के अध्याय 10 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम नियम, 2016 अभिप्रेत है ;

(ख) "धारा" से वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा अभिप्रेत है ;

(ग) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(घ) वे शब्द और पद, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं और वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) के अध्याय 10 के अधीन परिभाषित है, का क्रमश: वही अर्थ होगा जो उनका उस स्कीम में है।

3. धारा 203 के अधीन घोषणा और वचनबंध का प्ररूप – (1) धारा 203 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्ररूप 1 में दो प्रतियों में की जाएगी और उसमें विनिर्दिष्ट रीति में सत्यापित की जाएगी।

(2) धारा 203 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट वचनबंध प्ररूप 2 में घोषणा के साथ प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें विनिर्दिष्ट रीति में सत्यापित किया जाएगा।

(3) यथास्थिति, उपनियम (1) के अधीन घोषणा और उपनियम (2) के अधीन वचनबंध पर घोषणाकर्ता या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 140 के अनुसार उसके मामले में आय-कर की विवरणी को सत्यापित करने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(4) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी घोषणा की प्राप्ति पर उसकी अभिस्वीकृति की रसीद जारी करेगा।

4. धारा 204 की उपधारा (1) के अधीन प्रमाणपत्र का प्ररूप - नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी धारा 204 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र प्ररूप 3 में जारी करेगा।

5. संदाय की संसूचना - नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के अनुसरण में संदायों के ब्यौरों के साथ उनके सबूत को घोषणाकर्ता द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्ररूप 4 में प्रस्तुत किया जाएगा।

6. धारा 204 की उपधारा (2) के अधीन आदेश – धारा 204 की उपधारा (2) के अधीन कर बकाया के संबंध में नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी का आदेश प्ररूप 5 में और विनिर्दिष्ट कर के संबंध में प्ररूप 6 में होगा।

प्ररूप-1
[नियम 3(1) देखें]

वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 203 के अधीन प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम, 2016 के संबंध में घोषणा का प्ररूप

प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम नियम, 2016

सेवा में,

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी
.....
.....

महोदय/महोदया,

मैं, वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 202 के अधीन घोषणा करता हूं

साधारण सूचना :

1. घोषणाकर्ता का नाम .....……

2. पता : कार्यालय …….

……

ई-मेल……टेलीफोन नं.……..

निवास…….....

…….…….

ई-मेल……टेलीफोन नं.……..

3. स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) ……..……

4. घोषणाकर्ता की प्रास्थिति
   (क) कथन करें कि क्या व्यष्टि, हि.अ.कु., फर्म, कंपनी आदि …….
   (ख) कथन करें कि क्या निवासी/अनिवासी/मामूली तौर पर निवासी नहीं……

5. आय-कर रेंज/सर्कल/वार्ड, जहां अंतिम बार निर्धारण किया गया .....

भाग-क – कर बकाया के संबंध में ब्यौरे

1. आय-कर आयुक्त (अपील) के पास 29.02.2016 को लंबित अपील के ब्यौरे :

   (क) अपील निर्देश संख्या ……

(ख) निर्धारण वर्ष, जिससे अपील संबंधित है .....

(ग) धारा, जिसके अधीन वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पारित किया गया है .....

(घ) ऐसे आदेश की तारीख .....

2. अपील के निर्धारण आदेश से संबंधित होने की दशा में :

(क) निर्धारित कुल आय या कुल संपतति .....

(ख) निर्धारण आदेश के अनुसार संदेय रकम:

(i) कर .....

(ii) ब्याज .....

(iii) योग .....

(ग) विवादित आय .....

(घ) विवादित कर और ब्याज

(i) कर .....

(ii) निर्धारण की तारीख तक ब्याज .....

(iii) योग .....

(ङ) पूर्वोक्त (घ)(iii) से धारा 202 के अधीन घोषणा करने की तारीख को बकाया मांग .....

(च) धारा 202(I)(क) के अधीन संदेय रकम: .....

(i) पूर्वोक्त (ङ) के अनुसार रकम .....

(ii) यदि (घ)(i) 10 लाख रुपए या उससे अधिक है तो उद्ग्रहणीय न्यूनतम शास्ति का 25 प्रतिशत .....

(iii) योग (i) + (ii) .....

3. यदि अपील शास्ति आदेश से संबंधित है :

(क) निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारित कुल आय या कुल संपतति, जिसके संबंध शास्ति उद्ग्रहित की गई है .....

(ख) कुल आय पर अवधारित कर और ब्याज .....

(ग) संदेय कर और ब्याज, जो धारा 202 के अधीन घोषणा करने की तारीख को बकाया है .....

(घ) उद्ग्रहणीय न्यूनतम शास्ति .....

(ङ) शास्ति आदेश के अनुसार उद्ग्रहित शास्ति .....

(च) पूर्वोक्त (ङ) के अनुसार संदत्त रकम .....

(छ) धारा 202(I)(ख) के अधीन संदेय रकम:

पूर्वोक्त (ग) के अनुसार रकम	……
जोड़े : पूर्वोक्त (घ) का 25 प्रतिशत	……
घटाएं: पूर्वोक्त (च) के अनुसार रकम	……
योग	……

भाग-ख – विनिर्दिष्ट कर के संबंध में ब्यौरे

1.	निर्धारित कुल आय	..……
2.	निर्धारण आदेश की तारीख और धारा, जिसके अधीन निर्धारण किया गया है	..……
3.	निर्धारण वर्ष	..……
4.	निर्धारण आदेश/किसी अन्य आदेश के अनुसार संदेय रकम	..……
	(i) कर	……...
	(ii) ब्याज	……...
	(iii) योग	……...
5.	पूर्वोक्त 4(iii) के अनुसार संदत्त रकम	..……
6.	धारा 202 के अधीन घोषणा करने की तारीख को बकाया मांग	……...
7.	धारा 202(II) के अधीन संदेय रकम [4(i) – 5]	……...
8.	तारीख 29.02.2016 को अपील/फाइल की गई रिट या माध्यस्थम्/सुलह/मध्यकता के लिए आरंभ की गई कार्यवाहियां के लंबन या दी गई सूचना के ब्यौरे :	……...
	(i) प्राधिकारी या न्यायालय	……...
	(ii) (क) अपील/रिट याचिका संख्या	……...
	(ख) माध्यस्थम्/सुलह/मध्यकता निर्देश संख्या	……...
	(iii) फाइल करने की तारीख/वह तारीख जिसको सूचना दी गई	……...
9.	(i) क्या अपील/रिट/माध्यस्थम्/सुलह/मध्यकता कार्यवाहियां या उनकी सूचना का प्रतिसंहरण किया गया है	हां/नहीं
	(ii) यदि हां, तो प्रतिसंहरण की तारीख (उसका सबूत संलग्न करें)	……...

.....

घोषणाकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ...(स्पष्ट अक्षरों में नाम) पुत्र/पुत्री श्री..... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, -

(क) इस घोषणा, विवरण और संलग्न उपाबंधों में दी गई सूचना सही और पूर्ण है तथा कर बकाया/विनिर्दिष्ट कर की रकम तथा उसमें उपदर्शित अन्य विशिष्टियों का सत्य कथन किया गया है और इस घोषणा में उपदर्शित निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष से संबंधित हैं ;

(ख) मैं, किसी भी रीति में वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 208 के उपबंधों को निर्दिष्ट करते हुए स्कीम के अधीन घोषणा करने से निरर्हित नहीं हूं।

मैं यह और घोषणा करता हूं कि मैं इस घोषणा को..... की क्षमता [(पदनाम) (कृपया विनिर्दिष्ट करें यदि आप इस घोषणा को घोषणाकर्ता के निमित्त कर रहे हैं)] में कर रहा हूं तथा मैं इस घोषणा को करने और उसका सत्यापन करने में सक्षम हूं।

स्थान ....
तारीख ..... घोषणाकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

प्ररूप भरने के लिए अनुदेश :

1. इस प्ररूप को वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 201(1)(ख) में निर्दिष्ट नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
2. पूर्ण ब्यौरे देने के लिए जहां आवश्यक हो और शीटों का उपयोग किया जा सकेगा।
3. इस घोषणा को फाइल करने की तारीख को या उससे पूर्व कर, ब्याज या शास्ति के संदाय के संबंध में आवश्यक ब्यौरे संलग्न करें।
4. घोषणा के विनिर्दिष्ट कर से संबंधित होने की दशा में प्ररूप के साथ प्ररूप 2 में एक वचनबंध संलग्न किया जाना चाहिए।
4. उस पंक्ति/भाग को काट दें, जो लागू न हों।
5. किसी स्तंभ को रिक्त नहीं छोड़ा जाना चाहिए, जहां प्रविष्टि सुसंगत नहीं है, स्तंभ को 'लागू नहीं' भरा जाना चाहिए।
6. किसी अन्य सुसंगत सूचना को, यदि अपेक्षित हो तो पृथक् शीट में संक्षेप में उपदर्शित किया जा सकेगा।

प्ररूप-2

[नियम 3(2) देखें]

वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 203 की उपधारा (4) के अधीन प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम, 2016 के संबंध में वचनबंध

प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम नियम, 2016

सेवा में,

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी
....
....

महोदय/महोदया,

*मैं, ...(नाम स्पष्ट अक्षरों में) पुत्र/पुत्री .... ने प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम, 2016 का फायदा उठाने का विनिश्चय किया है, एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट कर, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हों, के संबंध में किसी उपचार को प्राप्त करने या अनुसरण करने या विनिर्दिष्ट कर के संबंध में किसी दावे के संबंध में अपने सभी अधिकारों का स्वैच्छिकता त्यजन करता हूं जो मुझे अन्यथा किसी साम्या, किसी कानून द्वारा या भारत द्वारा किसी अन्य देश या भारत से बाहर राज्यक्षेत्र के साथ किसी विनिधान के संरक्षण या अन्यथा के लिए किए गए किसी करार में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मुझे उपलब्ध हों।

*मैं,...(नाम स्पष्ट अक्षरों में) पुत्र/पुत्री श्री.. पदनाम………………………………….. के निमित …………………………… (घोषणाकर्ता का नाम) इस संबंध में सम्यकत: प्राधिकृत किए जाने के पश्चात् और सक्षम होने पर ……………………………. (घोषणाकर्ता का नाम) द्वारा प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम, 2016 का फायदा उठाने का विनिश्चय करने पर एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट कर, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हों, के संबंध में किसी उपचार को प्राप्त करने या अनुसरण करने या विनिर्दिष्ट कर के संबंध में किसी दावे के संबंध में अपने सभी अधिकारों का स्वैच्छिकता त्यजन करता हूं जो मुझे अन्यथा किसी साम्या, किसी कानून द्वारा या भारत द्वारा किसी अन्य देश या भारत से बाहर राज्यक्षेत्र के साथ किसी विनिधान के संरक्षण या अन्यथा के लिए किए गए किसी करार में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मुझे उपलब्ध हों।

पूर्वोक्त वचनबंध अप्रतिसंहरणीय है।

मैं यह भी पुषटि करता हूं कि मैं इस वचनबंध के सभी परिणामों से भिज्ञ हूं।

स्थान: …………….. ..…………..
हस्ताक्षर

तारीख: …………….. ……………
पदनाम

..................…………………
पता

……………………………
पैन

टिप्पण :

*जो लागू न हो उसे काट दें।

इस वचनबंध को 'विनिर्दिष्ट कर' के संबंध में प्ररूप 1 में घोषणा के साथ प्रस्तुत किया जाना है।

प्ररूप-3
[नियम 4 देखें]

वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 204 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम, 2016 के संबंध में संसूचना के प्रमाणपत्र का प्ररूप

प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम नियम, 2016

श्री/श्रीमती/सुश्री ..... (जिसे इसमें इसके पश्चात् घोषणाकर्ता कहा गया है) ने वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 202 के अधीन घोषणा फाइल की है ;

और उक्त घोषणा ..... को नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के कार्यालय में प्राप्त की गई है।

अत:, अब वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 204 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सुसंगत सामग्री पर विचारण करने के पश्चात् निम्नलिखित रकम का एतद्वारा घोषणाकर्ता द्वारा कर बकाया/विनिर्दिष्ट कर, जो उक्त घोषणा द्वारा स्कीम के अधीन आता है, संदाय करने के लिए अवधारण किया गया है :

क्रम सं.	**आय-कर अधिनियम, 1961/ धन-कर अधिनियम, 1957**	**निर्धारण वर्ष**	**कर बकाया**	**विनिर्दिष्ट कर**	**संदेय रकम**

घोषणाकर्ता को इस प्रमाणपत्र की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर संदेय राशि का संदाय करने का निदेश दिया जाता है।

उक्त अवधि के भीतर संदेय रकम का संदाय न किए जाने की दशा में प्ररूप 1 के अधीन घोषणा को शून्य माना जाएगा और कभी न की गई समझा जाएगा।

स्थान .....
तारीख .....

……..
नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी का नाम, हस्ताक्षर और मुहर

प्ररूप-4
[नियम 5 देखें]

वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 204 की उपधारा (2) के अधीन प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम, 2016 के संबंध में संदाय की संसूचना

प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम नियम, 2016

सेवा में,

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी
.....
.....

महोदय/महोदया,

_____ के संबंध में प्रमाणपत्र फा.सं. _____ तारीख _____ द्वारा प्ररूप 3 में नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी से प्रमाणपत्र की प्राप्ति के अनुसरण में _____(घोषणाकर्ता का नाम और पता) पैन_____लेखांकन वर्ष_____, के लिए संदाय के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

क्रम सं.	बैंक का बीएसआर कूट	जमा की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	चालान की क्रम संख्या	रकम (रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

पूर्वोक्त ब्यौरे के अनुसार संदाय का सबूत संलग्न करें।

स्थान: ……..

……..
हस्ताक्षर

तारीख: ……..

……
पदनाम

…….
पता

प्ररूप-5
[नियम 6 देखें]

वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 205 के साथ पठित धारा 204(2) के अधीन कर बकाया के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए आदेश

प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम नियम, 2016

..... (घोषणाकर्ता का नाम और पता)(जिसे इसमें इसके पश्चात् घोषणाकर्ता कहा गया है) ने वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 202 के अधीन घोषणा की थी ;

और नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने तारीख ..... के आदेश द्वारा ..... रुपए की रकम का घोषणाकर्ता द्वारा स्कीम के उपबंधों के अनुसार संदाय करने का अवधारण किया है और एक प्रमाणपत्र अनुदत्त किया है, जिसमें ऐसे अवधारण के पश्चात् संदेय विनिर्दिष्ट कर और राशि की विशिषटियों का नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार विनिर्दिष्ट कर के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए अवधारण किया है ;

और घोषणाकर्ता ने नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अवधारित ..... रुपए का संदाय कर दिया है ;

अब, इसलिए वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 205 के साथ पठित धारा 204 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह प्रमाणित किया जाता है कि –

(क) घोषणाकर्ता ने ..... रुपए की राशि का आदेश फा.सं. ……तारीख ..... में अवधारित कर बकाया के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए संदाय कर दिया है।

(ख) स्कीम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए आय-कर अधिनियम/धन-कर अधिनियम या उक्त अधिनियमिती के अधीन शास्ति के अधिरोपण से [वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 205(ख)(ii) के अनुसार], विवादित कर/विवादित आय, जिसके ब्यौरे नीचे सारणी में दिए गए हैं, के संबंध में किसी अपराध के अभियोजन के लिए कार्यवाहियों से उन्मुक्ति अनुदत्त की जाती है :

निर्धारण वर्ष	**अपील निर्देश संख्या**	**विवादित आय की रकम**	**विवादित कर की रकम**

स्थान ..... ……
तारीख ..... नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी का नाम, हस्ताक्षर और मुहर

सेवा में

(1) घोषणाकर्ता
(2) निर्धारण अधिकारी
(3) संबंधित प्रधान आय-कर आयुक्त (अपील)
(4) संबंधित अपील प्राधिकारी/न्यायनिर्णयन प्राधिकारी

टिप्पण : जो लागू न हों उसे काट दें।

प्ररूप-6
[नियम 6 देखें]

वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 205 के साथ पठित धारा 204(2) के अधीन विनिर्दिष्ट कर के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए आदेश

प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम नियम, 2016

..... (घोषणाकर्ता का नाम और पता)(जिसे इसमें इसके पश्चात् घोषणाकर्ता कहा गया है) ने वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 202 के अधीन घोषणा की थी ;

और नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने तारीख ..... के आदेश द्वारा ..... रुपए की रकम का घोषणाकर्ता द्वारा स्कीम के उपबंधों के अनुसार संदाय करने का अवधारण किया है और एक प्रमाणपत्र अनुदत्त किया है, जिसमें ऐसे अवधारण के पश्चात् संदेय विनिर्दिष्ट कर और राशि की विशिषटियों का नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार विनिर्दिष्ट कर के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए अवधारण किया है ;

और घोषणाकर्ता ने नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अवधारित ..... रुपए का संदाय कर दिया है ;

और घोषणाकर्ता ने उच्च न्यायालय ..... (उच्च न्यायालय के नाम का वर्णन करें) या उच्चतम न्यायालय के समक्ष रिट याचिका/अपील फाइल की थी या भारत द्वारा किसी अन्य देश या भारत से बाहर राज्यक्षेत्र के साथ चाहे विनिधान या अन्यथा के संरक्षण के लिए किए गए करार के अधीन विनिर्दिष्ट कर के संबंध में किसी आदेश के विरुद्ध माध्यस्थम्/सुलह/मध्यकता कार्यवाहियां आरंभ की हैं/कोई सूचना दी है, -

और घोषणाकर्ता ने ..... उच्च न्यायालय (उच्च न्यायालय के नाम का वर्णन करें) या उच्चतम न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष उक्त रिट याचिका/अपील/कार्यवाही/सूचना का प्रत्याहृत कर लिया है और उसके प्रत्याह्वण का सबूत प्रस्तुत किया है ;

और घोषणाकर्ता ने प्ररूप 2, तारीख ..... में वचनबंध प्रस्तुत किया है ;

अत: अब वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 205 के साथ पठित धारा 204 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं प्रमाणित करता हूं कि--

(क) घोषणाकर्ता ने ..... रुपए की राशि का आदेश फा.सं. .....तारीख ..... में अवधारित विनिर्दिष्ट कर के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए संदाय कर दिया है।

(ख) स्कीम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए आय-कर अधिनियम/धन-कर अधिनियम या उक्त अधिनियमिती के अधीन शास्ति के अधिरोपण से [वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 205(ख)(i) के अनुसार], विवादित कर/विवादित आय, जिसके ब्यौरे नीचे सारणी में दिए गए हैं, के संबंध में किसी अपराध के अभियोजन के लिए कार्यवाहियों से उन्मुक्ति अनुदत्त की जाती है।

निर्धारण वर्ष	**अपील निर्देश संख्या**	**विवादित आय की रकम**	**विवादित कर की रकम**

स्थान .....
तारीख .....

.....
नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी का नाम, हस्ताक्षर और मुहर

सेवा में

(1) घोषणाकर्ता
(2) निर्धारण अधिकारी
(3) संबंधित प्रधान आय-कर आयुक्त (अपील)
(4) संबंधित अपील प्राधिकारी/न्यायनिर्णयन प्राधिकारी

टिप्पण : जो लागू न हों उसे काट दें।

[अधिसूचना सं. 35/2016 : फा. सं. 142/11/2016-टीपीएल]

(डा. ठाकुर सिंह मपवाल)
अवर सचिव, भारत सरकार